न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/05

छीतर आत्मज श्री नारायण जाति गोस्वामी उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम जरखोदा हाल गोपाल भवन सकतपुरा कोटा हाल ग्राम बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश आत्मज गोपी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नन्दलाल उर्फ नन्दा आत्मज कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. नन्दकंवरी बेवा पप्पूलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. प्रकाश आत्मज पप्पूलाल नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता नन्दकंवरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. शंकर आत्मज श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. कंचन बेवा श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जिला कलक्टर, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/06

छीतर आत्मज श्री नारायण जाति गोस्वामी उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम जरखोदा हाल गोपाल भवन सकतपुरा कोटा हाल ग्राम बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश आत्मज गोपी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नन्दलाल उर्फ नन्दा आत्मज कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. नन्दकंवरी बेवा पप्पूलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

4. प्रकाश आत्मज पप्पूलाल नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता नन्दकंवरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. शंकर आत्मज श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. कंचन बेवा श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जिला कलक्टर, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/07

1. नन्दलाल उर्फ नन्दा आत्मज कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. प्रकाश आत्मज पप्पूलाल नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता नन्दकंवरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर आत्मज श्री नारायण जाति गोस्वामी उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम जरखोदा हाल गोपाल भवन सकतपुरा कोटा हाल ग्राम बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शंकर आत्मज श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कंचन बेवा श्रीनारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलखासा, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. कैलाश आत्मज गोपी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मांगीलाल आत्मज कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. नन्दकंवरी बेवा पप्पूलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जिला कलक्टर, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2022/05 एवं 202/06 में ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2022/07 में ।
3. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अपील संख्या 2022/05 एवं 202/06 में एवं अपील संख्या 2022/07 में रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त तीनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने तथा समान पक्षकार होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त तीनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी कम 01 छीतर अपीलान्ट एवं वादी रेस्पोडेन्ट शंकर एवं कंचन बाई ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कलमिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 202 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 210 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि नारायण आत्मज बजरंग गर एवं बाबू आत्मज रामनारायण गर के सम्मिलित खातेदारी एवं आधिपत्य की थी । बजरंग गर व रामनारायण गर आपस में सगे भाई थे । राजस्व विभाग की गलती के कारण श्री नारायण आत्मज बजरंग लाल गर के बजाय श्री नारायण के आगे अल्प विराम (,) लगा दिया व आत्मज शब्द विलोपित कर दिया जिससे राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण श्री नारायण आत्मज बजरंग ग पिता पुत्र होने के बजाय आपस में सगे भाई हो गये व बाबू भी इनका सगा भाई हो गया । इस गलती के कारण ही आगे की जमाबन्दी में श्री नारायण के मरने के पश्चात् उसके वारिसान जो वादीगण का हिस्सा 1/3 हो गया व बजरंग गर व बाबू का हिस्सा 2/3 हो गया जबकि बजरंग गर की मृत्यु वर्षो पूर्व हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी में बाबू व वादीगण का हिस्सा बराबर–बराबर 1/2 दर्ज होना चाहिए था । वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी बहैसियत काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम खातेदारी में दर्ज करावें ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का वादीगण को

खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में से बाबू एवं बजरंग का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किया जावे ।

5. प्रतिवादी कम 1 , 3, 5, 5 एवं 6 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2004 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 कैलाश अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 07.10.2005 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

8. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 के व्यथित होकर वादीगण छीतर, शंकर एवं कंचनबाई ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 को यथावत रखने का आदेश पारित किया ।

9. परीक्षण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया । तत्पश्चात् वादीगण कम 2 व 3 एवं प्रतिवादी कम 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 09.07.2020 को लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट देई में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.12.2021 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

10. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा उक्त तीनों अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2021 निरस्त करने का कथन किया ।

11. तीनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

12. तीनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 के

द्वारा परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया था कि जमाबन्दी संवत् 2028 से 2047 में वादग्रस्त आराजी बजरंग गर एवं रामनारायण को आपस में भाई दर्शाया हुआ है, जबकि बजरंग रामनारायण का पिता है तथा राजस्व कर्मचारियों की गलकती से श्री नारायण आत्मज बजरंगा के बजाय श्री नारायण के आगे अल्प विराम लगा दिया व आत्मज शब्द विलोपित कर दिया जिससे श्री नारायण व बजरंग लाल पिता पुत्र होने के स्थान पर आपस में सगे भाई हो गये । इसी गलती के कारण आगे की जमाबन्दी में श्री नारायण के मरने के बाद उसके वारिसान वादीगण का हिस्सा 1/3 हो गया व बजरंग गर व बाबू का हिस्सा 2/3 हो गया जबकि बजरंग गर वर्षों पूर्व ही मर चुका है । बाबू भी लाऔलाद फौत हो चुका था इस कारण से वादी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2001 के द्वारा वादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 का वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2001 को निरस्त करते प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 को बहाल रखा । उक्त आदेश की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । परीक्षण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में वाद वादीगण खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम की थी परन्तु निर्णय बिना तनकीवार पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में रखते हुए अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त निर्णय सही नहीं है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आदेश 14 नियम 02 सीपीसी, आरबीजे 2014 पेज 671, आरबीजे 1999 पेज 285, आरआरडी 1997 पेज 304, आरबीजे 2019 पेज 134, आरआरडी 2015 पेज 16, आरआरडी 2011 पेज 81 उद्धरत की ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 01 एवं 04 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । पूर्व में भी अपील रिमाण्ड की गई थी, अतः पुनः रिमाण्ड नहीं किया जावे । इससे वाद निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होगा । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार निर्णय सही है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2021 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का

सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । वादी कम 01 छीतर अपीलान्ट एवं वादी रेस्पोडेन्ट शंकर एवं कंचन बाई ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया । प्रतिवादी कम 1 , 3, 5, 5 एवं 6 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2004 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 कैलाश अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 07.10.2005 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 के व्यथित होकर वादीगण छीतर, शंकर एवं कंचनबाई ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2005 को यथावत रखने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया । तत्पश्चात् वादीगण कम 2 व 3 एवं प्रतिवादी कम 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 09.07.2020 को लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट देई में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.12.2021 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री कर दिया । हालांकि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.12.2021 में प्रस्तुत प्रकरण को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में निर्णय करने का कोई अंकन नहीं है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर दिनांक 29.11.2021 को 03 तनकी कायम की थी जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि तनकीवार निर्णय नहीं होने से पत्रावली प्रतिप्रेषित नहीं की जावे । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय न तो तनकीवार है और न सकारण है तथा न ही निर्णय के आधारों को स्पष्ट किया गया है । अपीलाधीन निर्णय में कहीं भी साक्ष्य व गवाहों का विवेचन नहीं किया गया है। निर्णय में पूर्व में रचित विवाद्यकों अनुसार तनकीवार भी नहीं किया गया है । निर्णय पूर्णतः Non- Speaking निर्णय की श्रेणी में आता है । निर्णय साक्ष्यों, गवाहों, दस्तावेजों व बहस की विवेचना करते हुए स्पष्ट व सकारण होना चाहिए । परन्तु परीक्षण न्यायालय का निर्णय न तो सकारण है तथा न ही तनकीवार किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम क्यों व किन आधारों पर स्वीकार किया है, इसमें स्पष्टता का अभाव है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट तीनों अपील अपीलान्ट संख्या 2022/05, 2022/07, 2022/07 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की ली गई साक्ष्य व दस्तावेजों का विस्तृत रूप से विवेचन कर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से सकारण (Speaking) निर्णय पत्रावली प्राप्ति के 90 दिवस में पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.12.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो ।

17. निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा